


RBENo.154/2019



PCPO's Sl.No.194\2019

No. E/207/O/ECR/HJP

Dated:-11.10.2019

1. CAO (Coll.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी कार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : Revised format for issue of Pensioners' Identity Card.


संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.E(W)2016/PS5-8/1 Dated: 20.09.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रोत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward-action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


(सीरम सावर्ण) 11.10.19
वकाधि / ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर


प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस०.सी०. / एस०.टी०. / एशोसिएशन / पू.म.रे / हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.) पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी. एशोसिएशन / पू.म.रे / हाजीपुर।

प्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर

26 SEP 2019

रेलवे बोर्ड का पत्र प्रसिद्धि सं. 8



RBE No. 154/2019

No. E(W)2016/PS5-8/1

New Delhi, dated 20.09.2019

ECR

The General Managers (P)
All Zonal Railways & Production Units

073333

26 SEP 2019

Ruling

Sub: Revised format for issue of Pensioners' Identity Card.

Ref: (i) Board's letter of even number dated 29.09.2016.
(ii) OM No. 41/21/2000-P&PW(D) dated 19.02.2019 of
Department of Pension & Pensioners' Welfare.

The Department of Pension & Pensioners' Welfare, vide their OM cited under Ref.(ii) above, have circulated a revised format for issue of Pensioners' Identity Card deleting the requirement for indicating Aadhaar No. in the earlier format.

2. Accordingly, the earlier format circulated vide Board's letter under Ref.(i) has been revised and enclosed as Annexure I & II. Henceforth Pensioners' Identity Cards may be issued to the Railway servants retiring under Railway Services (Pension) Rules, 1993 as per format at Annexure-I and to the Railway servants retiring under 'National Pension System' (NPS) as per format at Annexure-II.

3. Other conditions stipulated in Board's letter cited under Ref.(i) shall continue.

प्रमुकाधि
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज
उप मुकाधि/मा
उप मुकाधि/आईआर
बकाधि B.M.
सकाधि
विधि अधिकारी
सलाहकार (का)

(D.V. Rao)

Director Estt. (Welfare)
Railway Board

Encl: Annexure I & II.

20.9.2019

Chas/colt

Please circulate to all
concerned

DLW

Annexure-I

[For Railway servants retiring under Railway Services (Pension) Rules, 1993]

FRONT

PENSIONER'S IDENTITY CARD

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
.....Railway

No. :
Name :
Res. Address :
Tel/Mob. No. :
Blood Group :

Space for
Photograph

Signature of Card Holder

Signature of Issuing
Authority with seal

REVERSE

Date of birth:
Date of appointment:
Date of superannuation / retirement:
Pay-scale on retirement:
Post held on retirement :
Last pay:
PPO No. and date:
Qualifying service:
RELHS Card No.:
Contact No.:

[For Railway servants retiring under 'National Pension System' (NPS)]

FRONT

PENSIONER'S IDENTITY CARD

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
.....Railway

No. :
Name :
Res. Address :
Tel/Mob. No. :
Blood Group :

Space for
Photograph

Signature of Card Holder

Signature of Issuing
Authority with seal

REVERSE

Date of birth:
Date of appointment :
Date of superannuation/retirement:
Pay-scale on retirement:
Post held on retirement:
Last pay:
PRAN Number:
Qualifying service:
RELHS Card No.:
Contact No.:

उक्त बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

074149

22 OCT 2019


ECR

सं.ई(डब्ल्यू)2016/पीएस 5-8/1

नई दिल्ली, दिनांक 20.09.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां



विषय: पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी करने के लिए संशोधित फॉर्मेट।

Ruling

- संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 29.09.2016 का समसंख्यक पत्र।
(ii) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 19.02.2019 का कार्यालय जापन सं. 41/21/2000-पीएंडपीडब्ल्यू(डी)

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने उपर्युक्त संदर्भित (ii) कार्यालय जापन के तहत आधार नंबर, जो पिछले फॉर्मेट में दिया हुआ था, उसे हटाते हुए पेंशनभोगियों के लिए संशोधित पहचान-पत्र का फॉर्मेट जारी किया है।

2. तदनुसार, बोर्ड के उक्त संदर्भाधीन पत्र (i) के तहत परिपत्रित पूर्व फॉर्मेट को संशोधित किया गया है जो अनुलग्नक I एवं II के रूप में संलग्न है। अब से रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को अनुलग्नक-I में दिये गए फॉर्मेट के अनुसार और 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (एनपीएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों को अनुलग्नक-II में दिये गए फॉर्मेट के अनुसार पेंशनभोगी पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे।

3. बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र (i) में निर्धारित अन्य शर्तें वैध रहेंगी।

संलग्नक: अनुलग्नक I एवं II

प्रतिलिपि प्रेषित:- संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

Chrs/sets

संयुक्त सचिव
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज
उप मुकाधि/या
उप मुकाधि/आईआर
मुकाधि ESM
सकाधि
विधि अधिकारी
सलाहकार (का)

(डी. वी. राव)

निदेशक स्थापना (कल्याण)

रेलवे बोर्ड

Please circulate

31/10

रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए

अनुसूचना-1

मुख पृष्ठ

पेंशनभोगी पहचान-पत्र

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

..... रेलवे

सं.

नाम

आवासीय पता

टेली/मोबाइल नं.

रक्त ग्रुप

फोटोग्राफ के लिए
स्थान

कार्डधारी के हस्ताक्षर

मोहर के साथ जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

पिछला भाग

जन्मतिथि:

नियुक्ति की तारीख:

अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख:

सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान:

सेवानिवृत्ति होने के समय धारित पद:

अंतिम वेतन:

पीपीओ नं. एवं तारीख:

अर्हक सेवा:

आरईएलएचएस कार्ड नं.

संपर्क नम्बर:

अनुलग्नक-11
[राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली] (एनपीएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए

मुख्य भाग

पेंशनभोगी पहचान-पत्र

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

..... रेलवे

सं. :
नाम :
फोटोग्राफ के लिए
स्थान आवासीय पता :
टेली/मोबाइल नं. :
रक्त ग्रुप :

कार्डधारी के हस्ताक्षर

मोहर के साथ जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

पिछला भाग

जन्मतिथि:
नियुक्ति की तारीख:
अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख:
सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान:
सेवानिवृत्ति होने के समय धारित पद:
अंतिम वेतन:
पीआरएन नं.:
अहक सेवा:
आरईएलएचएस कार्ड नं.
संपर्क नम्बर: